...प्रकरण संख्या—60/2014 दायर तारीख 04.12...

जगदीश पिता चुन्नीया उर्फ चुन्नीलाल जाति बलाई उम्र 50 साल पेशा काश्त ...
बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

बनाम

01. चुन्नीया उर्फ चुन्नीलाल पिता नंदा जाति बलाई उम्र 70 साल पेशा काश्त ...
बेरीसाल तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02 लादुलाल पिता प्रभू जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तह...
बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. चन्द्रप्रकाश पिता प्रभू जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तह...
बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. गोपाल पिता प्रभू जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तह...
बिजौलियां जिला भीलवाडा
05. बाबूलाल पिता प्रभू जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तह...
बिजौलियां जिला भीलवाडा (फोत्त होने के कारण नाम हटाया गया)
06. मोहन पिता नंदा जाति बलाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी बेरीसाल तह...
बिजौलियां जिला भीलवाडा
07. राजस्थान सरकार की और से जरिये प्रतिनिधी तहसीलदार साहब बिजौलियां

..........प्रतिवादीग...

उपस्थित:—
घनश्याम धाकड अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णय:—

दिनांक 04.01.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस... वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीग... इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सलावटिया प0ह0 सलावटिया... तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नं0 94/1 रकबा 5 बिस्वा आराजी नं0 95/1... रकबा 11 बिस्वा आराजी नं0 96/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नं0 1440/93... रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा लगानी 1.21 पेशा खातेदार... चुन्नीलाल उर्फ चुन्नीया पिता नंदा बलाई निवासी बेरीसाल के नाम पर बहेसियत... खातेदारी के स्थित है। तथा इसी प्रकार ग्राम खडीपुर प0ह0 सुखपुरा में स्थित... आराजी नं0 806/803 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नं0 807/803 रकबा 6 बीघा 1... बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित होकर उक्त भूमि में चुन्नीया उर्फ चुन्नीलाल का 1/4 हिस्सा है। उक्त भूमि खातेदार लादूलाल, चन्द्रप्रकाश, गोपाल, बालुलाल, पिता प्रभू चुन्नीया उर्फ चुन्नीलाल, मोहन पिता नंदा बलाई के नाम पर बहेसियत खातेदारी स्थित है। तथा उक्त आराजीयात में चुन्नीया उर्फ चुन्नीलाल का 1/4 हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजीयात मोरुसी होकर नंदा द्वारा बनायी गयी जिससे विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम सलावटिया में स्थित आराजी नं0 94/1, 95/1, 96/1, 1440/93 किता 4 रकबां 2 बीघा 12 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा विवादग्रस्त आराजी ग्राम खडीपुर में स्थित आराजी नं0 806/803 रकबा 13 बिस्वा, 807/803 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में वादी का 1/8 हिस्सा होकर विवादग्रस्त आराजी पर वादी निरन्तर बरसो से काबिज चला आ रहा है। आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 अकारण ही वादी को अपने हक हिस्से की भूमि से वचित रखने की नियत से एंव खाता अपने नाम पर होने से भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने पर आमदा होकर वादी को बेदखल करने पर जबरन उतारु है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को दिनांक 16.11.201...

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

दी की वह विवादग्रस्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करेगा व भूमि से बेदखल करेगा। प्रतिवादी संख्या 1 को मोरुसी जायदाद होने से सम्पूर्ण भूमि बेचने का कोई हक अधिकार कानूनी तोंर पर नही है। किन्तु फिर भी अपने नाम पर खाता होने से उसका नाजायज उपयोग कर भूमि को हस्तान्तरण करना चाह रहा है जिससे वादी को असहनिय क्षति होने एंव अधिक मुकदमे बढने की पूर्ण सम्भावना उत्पन्न होगी ऐसी स्थिति में वादपत्र की कलम संख्या 1 में अंकित आराजीयात ग्राम सलावटिया के खाते की भूमि 1/2 तथा ग्राम खडीपुर में स्थित आराजीयात के 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। वादी ने अनुतोष चाहा कि आराजीयात ग्राम सलावटिया की 94/1, 95/1, 96/1, 1440/93 किता 4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार एंव ग्राम खडीपुर में स्थित आराजी नं0 806/803 रकबा 13 बिस्वा, 807/803 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में वादी का 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 के सादिर फरमायी जावे। आराजीयात में वादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी व्यक्ति को हस्तानतरण नही करे इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 के जारी फरमायी जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना गैर हाजिर रहने से एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी क्रमांक 5 फोत होने से नाम हटाया गया।

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू I जगदीश व पी.डब्ल्यू II गोपाल को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू I जगदीश पिता चुन्नीलाल बलाई उम्र 50 साल पेशा खेती निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

पी.डब्ल्यू I जगदीश बलाई निवासी बेरीसाल ने बयान में लिखवाया गया कि ग्राम सलावटिया में आराजी नं0 94/1, 95/1, 96/1, 1440/93 किता 4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार एंव ग्राम खडीपुर में स्थित आराजी नं0 806/803 रकबा 13 बिस्वा, 807/803 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि मे से 1/4 हिस्सा हमारे आता है। उक्त भूमि पुश्तैनी होकर निरन्तर हमारा कब्जा काश्त है मेरे पिता चुन्नीलाल उर्फ चुन्नीया के पिता का नाम नंदा पिता किशना है। उक्त भूमि विरासत से मेरे पिता चुन्नीलाल उर्फ चुन्नीया के नाम पर आई है। स्वयं अर्जित सम्पती नही है। मेरे पिता का भरण पोषण मेरे द्वारा किया जा रहा है बिमारी में भी ईलाज में ही करवा रहा हुं। मेरे पिताजी को निजी उपयोग हेतु राशि की आवश्यकता नही होते हुये भी उक्त भूमि को किसी के बहकावे मे आकर बेचना चाहते है। वाद कारण दिनांक 16.11.2014 को उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की घमकी दी एंव वादी को बेदखल करना चाहते है उक्त भूमि पुश्तैनी होने से मेरे पिताजी को बेचने का हक नही है। मेरे पिताजी को हिस्से भूमि मे से 1/2 हिस्सा मेरे हक व अधिकार में आता है मेरे वाद में प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत् 2031 से 34 प्रदर्श पी–1 है, सम्वत् 2028 से 31 पेश है जो ईएक्श पी–2 है, चालु जमाबंदी ईएक्श पी–3 है तथा नकल जमाबंदी चालु ईएक्श पी–4 है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

विरासत से आई है चुन्नीलाल के एक लडका जगदीश है। उक्त भूमि को जगदीश के पिता बेचना चाहते है सेवा चाकरी भरण पोषण जगदीश ही कर रहा है। सलावटिया की भूमि में से 1/2 हिस्सा व खडीपुर की भूमि में 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित होगा।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि आराजीयात ग्राम सलावटिया की 94/1, 95/1, 96/1, 1440/93 किता 4 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्से का खातेदार एंव ग्राम खडीपुर में स्थित आराजी नं0 806/803 रकबा 13 बिस्वा, 807/803 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में वादी का 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 के सादिर फरमायी जावे। आराजीयात में वादी के हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी व्यक्ति को हस्तानतरण नही करे इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादी संख्या 1 के जारी फरमायी जावे। रुलिंग्स उत्तराधिकार कानून की धारा 40 पैतृक सम्पती में पुत्र अपने पिता के जीवनकाल में अधिकार प्राप्त कर सकता है। पेज नं0 123 की फोटो प्रति व उच्च न्यायालय के निर्णय श्रीमती मानकंवर बनाम सरकार (143) डी0बी0 सीवील रिट पीटीशन नं0 15/1978 दिनांक 30 जनवरी 1978 पेरा (बी) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 38 ओर 40— applicadility-where agrl hot ding belongs to father, tenancy rights devolve on children onlyon his death white principal is not applicable where houlding ancestral in hands of father – 1977 RRD 233 and 95 distinguished (paran 5) वादपत्र वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस पर मनन किया ।

वादिया का वाद है कि ग्राम सलावटिया की पैतृक भूमि को पिता द्वारा विक्रय की जा रही है जिसे रोकी जाकर वादी का हिस्सा अलग करने की मांग की है। वकील वादी द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत रुलिंग्स से हम भी सहमत है। भूमि पैतृक होने बाबत नकल जमाबंदी 2028 से 2031 प्रस्तुत की है किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि इन नम्बरों से वर्तमान वादपत्र में अंकित आराजी नं0 ही बने है या नही. वादी द्वारा सिद्व नही कराया है। मिलान क्षैत्रफल की प्रति प्रस्तुत नही की हैं। वादपत्र का आधार ही यही है कि पैतृक भूमि से पुत्र का हिस्सा पिता के जीवनकाल में अलग कराया जावे। दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित नही करवाया है, नये पुराने नम्बरो का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत न होने से पुरानी जमाबंदी से नई जमाबंदी में अंकित नम्बरान का मिलान का आधार नही है। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्व नही करा पाने से वादपत्र वादी खारीज योग्य है।

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88—188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.01.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलिया (भीलवाड़ा)